राजनीतिक

● भारत ब्लॉक के कितने सांसद वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करेंगे?

अब यह आधिकारिक हो गया है कि सरकार कल बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। अब सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक के कितने सांसद इस विधेयक का समर्थन करेंगे, क्योंकि ब्लॉक शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रहा है। लेकिन सूत्रों की मानें तो इंडिया ब्लॉक के एक दर्जन से अधिक सांसद इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी।

● भाजपा भारत की सत्ता और वित्तीय राजधानी दोनों पर शासन कर रही है!

दिल्ली चुनाव में जीत के बाद, भाजपा अब भारत की सत्ता की राजधानी दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई दोनों पर राज करेगी। सत्ता और पैसे का मेल एक घातक संयोजन माना जाता है; इसमें क्या छिपा है?

प्रशासनिक

● 1994 बैच के आईपीएस का पैनल जून में?

1994 बैच के आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर नियुक्त करने के बाद अब 1994 बैच के आईपीएस अधिकारियों को भारत सरकार में महानिदेशक पद पर नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। अब आईपीएस अधिकारियों का जून में पैनल में शामिल होना अपेक्षित है।

● यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है

यूपीएससी की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सूदन 29 अप्रैल, 2025 को सेवानिवृत्त होंगी। वह 1 अगस्त, 2024 से उक्त पद पर कार्यरत हैं।

● चंडीगढ़ के डीजीपी को बीएसएफ में स्थानांतरित किया

चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुरेंद्र सिंह यादव को स्थानांतरित कर दिया गया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी यादव को प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नियुक्त किया गया है।

● आईजी, एसपीजी के रूप में राजीव रंजन भगत का कार्यकाल बढ़ाया

विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के महानिरीक्षक के रूप में राजीव रंजन भगत का कार्यकाल 20 मई, 2025 से आगे दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। वह गुजरात कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

● शालिन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कूलिंग ऑफ अवधि माफ

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए शालीन की कूलिंग ऑफ अवधि माफ कर दी गई है। वह बिहार कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

● डीडीए के प्रधान आयुक्त के रूप में विपुल अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रधान आयुक्त के रूप में कार्यरत विपुल अग्रवाल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 15 मार्च, 2025 से आगे दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। वह गुजरात कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

● डी. सतीश नीति आयोग का सदस्य नियुक्त

डी. सतीश को नीति आयोग के सदस्य का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह सीएसएसएस कैडर के पीपीएस हैं।

● केजी जगदीश मूल कैडर में लौटे

कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के सचिव केजी जगदीश को समय से पहले उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। वह कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● मुथुकुमार कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के सचिव भी हैं

टी बोर्ड, कोनूर के कार्यकारी निदेशक एम मुथु कुमार को कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे ओडिशा कैडर के 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● हेमंत कुमार पाटिल कॉर्पोरेट मामलों का निदेशक नियुक्त

हेमंत कुमार पाटिल को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। वह 2002 बैच के आईओएफएस अधिकारी हैं।

● सुश्री अरुणिता फुकन यादव का ईडी, चाय बोर्ड, गुवाहाटी के रूप में कार्यकाल बढ़ा

चाय बोर्ड, गुवाहाटी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत सुश्री अरुणिता फूकन यादव का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 31 मई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वह 2011 बैच की आईआरएस-सी एंड आईटी हैं।

● पंकज श्रीवास्तव सहकारिता निदेशक नियुक्त

पंकज श्रीवास्तव को सहकारिता मंत्रालय, दिल्ली में निदेशक नियुक्त किया गया है। वह 2007 बैच के आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

● क्या बिहार सरकार चार सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है?

लोग कहते हैं कि बिहार सरकार को चार रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारियों के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

● बीएचईएल जीएम-लॉ के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने में क्यों विफल रहा?

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) महाप्रबंधक (विधि) के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के बावजूद उम्मीदवार का चयन करने में कथित रूप से क्यों विफल रहा?

● सीएमपीडीआईएल के सीएमडी के लिए बोर्ड स्तर पर कोई दावेदार नहीं!

केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए बोर्ड स्तर का कोई भी उम्मीदवार दावेदार नहीं दिख रहा है।

● न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा का कलकत्ता उच्च न्यायालय में तबादला

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

मैं योगी हूं, हमेशा के लिए राजनीति में नहीं

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल से एक योगी हूं और राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हूं।

उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं कब तक राजनीति में रहूंगा इसकी समय सीमा है। मैं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं हूं। बता दें कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और योगी को उनके समर्थकों के द्वारा प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। ये चर्चाएं प्रधानमंत्री मोदी के 30 मार्च को संघ मुख्यालय जाने के बाद और तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं में सीएम योगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है।

इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा जिस

पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे। हमारी संस्कृति में जब तक पिता जीवित होता है उत्तराधिकारी की बात नहीं की जाती है।

केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद होने से जुड़े सवाल को खारिज करते हुए योगी ने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है। मतभेद होता तो मैं यहां नहीं बैठा होता। मैं खुद को विशेष भी नहीं मानता हूं। योगी ने हैरानी जताते हुए कहा कि पता नहीं मतभेद होने की बात कहां से आ जाती है। पार्टी के कारण ही मैं यहां बैठा हूं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके मैं यहां बैठा रह सकता हूं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति में धर्म का मिलन गलत नहीं है। ये हमारी गलती है कि हम धर्म को कुछ स्थानों के लिए सीमित कर देते हैं और राजनीति को कुछ लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

राजनीति का उद्देश्य स्वार्थों की पूर्ति करना नहीं है बल्कि समाज की भलाई करना है। इसी तरह धर्म का उद्देश्य भी परमार्थ होता है। जब धर्म का प्रयोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है तो मुश्किल आती है लेकिन परमार्थ का उद्देश्य होने पर धर्म प्रगति के मार्ग खोलता है। पार्टी में टिकट वितरण में सीएम की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट वितरण का काम संसदीय बोर्ड करता है। संसदीय बोर्ड में सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होती है। आपस में गहन विचार-विमर्श के बाद ही प्रत्याशी के नाम तय होते हैं इसमें किसी के चलने या न चलने की बात ही नहीं है। संसदीय बोर्ड के सदस्य सभी नामों के बारे गहनता से छीनबीन के बाद ही सूची फाइनल करते हैं।

काशी के घर-घर तक पहुंचेगा संघ का साहित्य, 100 साल पूरे होने पर आत्मचिंतन होगा

वाराणसी

संघ का साहित्य काशी के हर घर तक पहुंचेगा। संघ हर गांव, बस्ती, घर-घर अभियान चलाएगा। तीन अप्रैल को संघ प्रमुख मोहन भागवत काशी प्रवास पर पहुंच रहे हैं। 3-7 अप्रैल के बीच उनके कई कार्यक्रम हैं। कार्यक्रमों के बीच वह शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर चर्चा करेंगे और अभियान को लेकर स्वयंसेवकों से संवाद करेंगे।

संघ पदाधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पदाधिकारी ने बताया कि संघ का मानना है कि विजयादशमी पर जब संघ 100 साल पूरे करेगा तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं होगा कि उन्हें उत्सव मनाना है। इस मौके पर आत्मचिंतन होगा। समाज के लिए संघ और क्या कर सकता है, इसकी रूपरेखा तैयार होगी। संघ कार्यों को समाज की ओर से जो समर्थन मिला है, उसका आभार जताया जाएगा।

उसी को देख कार्यक्रम चलेगा। इसे अक्तूबर-नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। लोगों का आभार भी जताएंगे और संघ का साहित्य घर-घर पहुंचाया जाएगा। शताब्दी वर्ष पर संघ गणवेश में खंड और नगर स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। इन योजनाओं पर काम चल रहा है। संघ प्रमुख प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम शहर के प्रबुद्ध वर्ग से मिलने उनके साथ भोजन करने और संवाद रखेंगे। लोगों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है। इसमें प्रोफेसर, समाज चिंतक, शोधार्थी, डॉक्टर और साहित्य से जुड़ी तमाम हस्तियों से भेंट करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को मंगलवार को एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की बैठक हुई।

अमित शाह से मिले सपा के बागी विधायक, बताई सपा छोड़ने की वजह

लखनऊ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायकों विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने सपा का साथ छोड़ने की वजहों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही, भविष्य की राजनीति के बारे में भी चर्चा की। सपा के बागी विधायकों की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं।

बता दें कि सपा से बगावत करने वाले विधायक बीते दिनों भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलते रहे हैं, हालांकि उन्हें पार्टी में शामिल करने अथवा कोई अहम जिम्मेदारी देने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे बागी विधायक अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। मंगलवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ के साथ तीनों बागी विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। बता दें कि सपा ने भी अपने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कराने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं विधायकों की बगावत के बाद लोकसभा चुनाव में इसका खास असर देखने को नहीं मिला।

कड़ी सुरक्षा के बीच नेपाल से देवीपाटन मंदिर पहुंची प्रसिद्ध पीर नाथ योगी की धार्मिक यात्रा

बलरामपुर

चैत्र नवरात्रि की पंचमी को नेपाल से आने वाली प्रसिद्ध पीर रतननाथ योगी की धार्मिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नेपाल सीमा क्षेत्र के जनकपुर मंदिर से देवीपाटन शक्तिपीठ पहुंची। इस शोभायात्रा में शामिल होने के लिए नेपाल से हजारों श्रद्धालु जनकपुर पहुंचे और यात्रा में भाग लिया। पात्र देवता के दर्शन के लिए श्रद्धालु मध्य रात्रि से ही सड़क के दोनों किनारों पर आस्था के फूल लिए जुटे रहे।

आज बुधवार सुबह लगभग 6:00 बजे पात्र देवता रतन नाथ योगी की धार्मिक यात्रा नेपाल सीमा के जनकपुर मंदिर से पैदल प्रस्थान कर तुलसीपुर नगर के नकटी नाला पहुंची। वहां नगरवासियों ने शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया और पात्र देवता की पूजा-अर्चना की। नेपाल से आए श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। एसडीएम तुलसीपुर की अगुवाई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पारंपरिक ढंग देवीपाटन मंदिर पहुंची। वहां देवीपाटन पीठाधीश्वर मिथलेश नाथ योगी ने पात्र देवता व मुख्य पुजारी का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माल्यार्पण कर स्वागत किया। माता के मुख्य मंदिर में पूजन के बाद मुख्य पुजारी ने मां पाटेश्वरी के गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना की गई।

इस भव्य शोभायात्रा में हाथी भी शामिल थे। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने भारत-नेपाल की साझा संस्कृति की झलक लोक नृत्य और झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया। नगर में यात्रा के स्वागत में जगह-जगह फूलों की वर्षा की गई, वहीं पैराशूट मोटर के जरिए आसमान से भी पुष्प वर्षा की गई । जिससे यात्रा में चल रहे श्रद्धालु हर्षित रहे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पीर रतननाथ योगी की यह धार्मिक यात्रा युगों-युगों से चली आ रही है। हर वर्ष चैत्र नवरात्रि की पंचमी को यह यात्रा देवीपाटन मंदिर पहुंचती है। मान्यता है कि नेपाल के रतननाथ योगी की तपस्या से प्रसन्न होकर माता पाटेश्वरी ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनके अनुरोध पर माता ने उन्हें ही पूजन का अधिकार दिया, तभी से यह परंपरा चली आ रही है।

रतननाथ योगी के शरीर त्यागने के बाद भी उनकी पात्र देवता के रूप में यह यात्रा जारी रहती है, जिसमें उनके मुख्य पुजारी पंचमी से नवमी तिथि तक पूजन करते हैं। नवमी तिथि के दिन पूजन प्रक्रिया बदल जाती है और इसके बाद देवीपाटन मंदिर के पुजारी पूजन संपन्न कराते हैं।

मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे पांच मत्स्य पालक किसान

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 अप्रैल को मत्स्य पालन से जुड़े प्रयागराज के पांच किसानों को सम्मानित किया जाएगा। मत्स्य विभाग प्रयागराज के कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसानों का चयन किया जा चुका है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं आशा वाघुले (ASHA VAGHULE) पत्नी श्री गौतम वाघुले निवासी-12, पुराना नगर,ए-सेक्टर, गोविन्दपुरा जिला भोपाल ने अपना नाम परिवर्तित कर आशा वाघुले (ASHA VAGHULE) कर लिया है तथा अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पुराना नाम
(आशा बाई वाघुले) ASHA BAI VAGHULE
(आशा बाई) ASHA BAI

नया नाम
(आशा वाघुले)(ASHA VAGHULE)
(आशा बाई वागोडे) ASHA BAI WAGODHE

22

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, नेहरू नगर, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक जूनियर एम.आई.जी./बी.एम.-104 मण्डल द्वारा (1) श्रीमती रितु जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन (2) श्रीमती मीना जैन पत्नी श्री महेश चन्द्र जैन व श्री महेश चन्द्र जैन आत्मज श्री राधेलाल जी जैन (3) श्री चन्द्रकांत तांडेकर आत्मज श्री नारायणराव तांडेकर (4) श्री सुनील कुमार काले आत्मज श्री फतूलाल काले (5) श्रीमती संगीता सोनी पत्नी श्री बसंत कुमार सोनी (6) श्रीमती ललिता अग्रवाल पत्नी श्री गणेश अग्रवाल (7) श्री विजय गुप्ता आत्मज श्री आर.एस. गुप्ता के नामों से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय से दिनांक 22/05/2013 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 18/04/2023 को पंजीकृत है। उक्त सम्पति की लीज समयावधि दिनांक 31/03/2044 तक वैध है। इनमें से श्रीमती रितु जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन द्वारा उक्त सम्पति का अपना हिस्सा (1) श्रीमती रशिमी जैन पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जैन (2) श्री जितेन्द्र कुमार जैन आत्मज श्री प्रेम चन्द्र जैन को विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 15/12/2023 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। हस्तांतरणकर्ता / हस्तांतरणग्रहिता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र एवं विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पति में से श्रीमती रितु जैन का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर (1) श्रीमती मीना जैन व श्री महेश चन्द्र जैन (2) श्री चन्द्रकांत तांडेकर (3) श्री सुनील कुमार काले (4) श्रीमती संगीता सोनी (5) श्रीमती ललिता अग्रवाल (6) श्री विजय गुप्ता के साथ (1) श्रीमती रशिमी जैन पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार जैन (2) श्री जितेन्द्र कुमार जैन आत्मज श्री प्रेम चन्द्र जैन का नाम संयुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पति में नाम विलोपित कर संयुक्त नाम की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
21 **म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल**

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड,भोपाल में स्थित शेड क्रमांक-571/ए मण्डल द्वारा श्री नजमुद्दीन शिराज आत्मज श्री अब्बास अली के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 24/01/2025 को पंजीकृत है। श्री नजमुद्दीन शिराज आत्मज श्री अब्बास अली द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती अरबा हुसैन पत्नी श्री फिरोज हुसैन को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 03/02/2025 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्रीमती अरबा हुसैन पत्नी श्री फिरोज हुसैन के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
20 **म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल**

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड, जनता कॉलोनी, आशा निकेतन, ई-6 अरेरा कॉलोनी, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक जे- 319 मण्डल द्वारा श्रीमती मीरा बाई पत्नी स्व. श्री महादेव रामाजी बालपाण्डे के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का आवंटन दिनांक 18/07/1979 को किया गया है। श्रीमती मीरा बाई द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती लल्लो बी पत्नी स्व. श्री नत्थू खान के पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। लेकिन हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी एवं इसी बीच श्रीमती लल्लो बी का स्वर्गवास दिनांक 07/03/2021 को एवं उनकी पुत्री श्रीमती नूरजहाँ बी का स्वर्गवास दिनांक 08/12/2006 को व उनके एक पुत्र श्री युनूस खान का स्वर्गवास दिनांक 23/07/2020 को हो गया है। आवेदक स्व. श्रीमती लल्लो बी के नाती श्री शेख शरीफ आत्मज स्व. श्री क्रमर खान द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य वारिसों का अनापत्ति शपथ पत्र व इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्री शेख शरीफ आत्मज स्व. श्री कमर खान के नाम से हस्तांतरित व नामांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण व नामातरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
19 **म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल**

न्यायालय : कमिश्नर फार वर्कमेंस काम्पेनसेशन श्रम न्यायालय, क्रमांक 2 भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 16/2025/डब्ल्यू.सी.एक्ट फैटल/वि.

सूचना पत्र :-

सर्व संबंधित को इस सूचना पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रमिक मृतक श्री.मो. नसीम आ. श्री मो. नसीर निवास म.न. 1192 ई डब्ल्यू एस 26 कॉम्पलेक्स इलाही मस्जिद के पास तह. हुजूर जिला भोपाल म.प्र.की दिनांक 09.09.2019 को नियोजक के नियोजन में मृत्यु होने के कारण नियोजक/जीवन मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड 5,56000.00 (पाँच लाख छप्पन हजार रूपये मात्र) जमा किया गया है। उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि आबंटन बाबत कार्यवाही हेतु श्रवण तिथि 05.05.2025 की जाकर सूचित किया जाता है कि स्वयं को जो कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के तहत उक्त मृतक का आश्रित व उनकी मृत्यु के एवज में इस न्यायालय में जमा क्षतिधन पाने का अधिकारी समझता हो तो, अपने साथ दो-दो अभिप्रमाणित फोटो, दो गवाह, राशन कार्ड व सेविंग खाता बैंक पासबुक की मूल व फोटो प्रति साथ लावे तथा आवेदन के साथ नियत पेशी तिथि 05.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रस्तुत करें। प्रकरण में जमा क्षतिधन आबंटित ना करने बाबत् स्थगन प्राप्त हो या किसी प्रकार से आपत्ति हो तो भी उक्त तिथि को पेश करें। उक्त श्रवण तिथि व्यतीत होने के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 01.04.2025 को न्यायालय की मुद्रा एवं हमारे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

सील

आयुक्त
कर्मकार आपूर्ति अधि.
श्रम न्यायालय क्र.2 भोपाल (म.प्र.)

In The Court Of III Additional Judge To The Court Of I Additional District Session Judge, Bhopal (M.P.)
Presiding Officer:Shri Ajay Neel Karothiva

(आवेदन पत्र वास्ते अप्राप्तवयों की संरक्षकता नियुक्ति अन्तर्गत धारा 7 एवं धारा 9, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 सहपठित धारा 6 हिन्दु अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956)

प्र. क्र.MJC GW-14/2025

श्रीमती लिपि जैन.... **आवेदिकागण.विरूद्ध**
सर्वसाधारण व अन्य.....**अनादेवकगण**

प्रोसेस आई. डी./2025
पेशी दिनांक-14/05/2025

प्रेषित-1.सर्वसाधारण पता:- सर्वसाधारण सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती लिपि जैन, पत्नी स्व. श्री स्वप्निल कुमार जैन, निवासी गुरुकुल रोड़, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, खुरई, जिला सागर, म.प्र.-470117 को कुमारी शैली जैन एवं कुमारी स्तुति जैन की संरक्षिका घोषित किये जाने एवं स्व. श्री स्वप्निल कुमार जैन की संपत्ति कृषि भूमि खसरा क्र. 269/3(एस),270/1, 268/3, कुल रकबा 0.1660 हेक्टेयर अर्थात् 0.41 एकड ग्राम-बावड़िया कलां, पटवारी हल्का नं. 42 राजस्व निरीक्षक मण्डल 04, विकास खण्ड फंदा, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल म.प्र. में स्थित है, जिसका पूर्ण विवरण आवेदन पत्र के चरण क्रमांक 02 में दिया गया है, का विक्रय आवेदक क्रमांक 02 व 03 की संरक्षिका के रूप में उनके हित में करने के लिये स्वतंत्र है। जिसकी सुनवाई दिनांक 14/05/2025 है यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई हित है अथवा आपत्ति है तो पेशी दिनांक 14/05/2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। आज दिनांक 02/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से इस न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया। **कृप्या ध्यान दे** : यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

अजय नील करोठिया
प्रथम जिला न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)
16

जाहिर सूचना

MIG Flat no. F-204, द्वितीय तल, सिल्वर आर्क, ग्राम दामखेड़ा, तह. कोलार, जिला भोपाल

मेरे पक्षकार इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि., प्लॉट नं. 69. तृतीय तल, जे.जे. टॉवर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, की ओर से सर्वसाधारण को सूचित हो कि श्रीमती कल्पना यादव पत्नी रोहित यादव ने अपनी 01 संपत्ति जो कि MIG Flat no. F-204, द्वितीय तल, सिल्वर आर्क, सर्वधर्म गृह नि.सह.सं.गर्या., भोपाल, ग्राम दामखेड़ा, तह. कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, को मेरे पक्षकार बैंक के पास बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया है। उक्त संपत्ति का नाम 525 वर्गफिट होकर चर्तुसीमायें पूरब कोलार रोड, पश्चिम फ्लैट नं. एफ-201, उत्तर फ्लैट नं. एफ-203, व दक्षिण में प्लॉट नं. ए-277 है। यह कि उक्त संपत्ति श्रीमती कल्पना यादव ने श्री अनिल चतुर्वेदी से एक विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी जिसका विलेख उप-पंजीयक कार्यालय, भोपाल-2 में दिनांक 05/09/2024 को ई-पंजीकरण नं एमपी 059702024Y11104041 पर पंजीकृत है जिसके आधार पर श्रीमती कल्पना यादव पत्नी श्री रोहित यादव उक्त संपत्ति की वैध अधिकारिणी मानी गई है। यदि उक्त सम्पति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी इत्यादि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार, दान, बंधक या कोई हित हो या उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का अनुबंध हो तो, वह व्यक्ति, इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में मय दस्तावेजी प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान कर देंगे तथा अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली कोई भी आपत्ति या विवाद न तो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी होगा एवं न ही मान्य होगा ।

मधुसूदन तिवारी,अधिवक्ता
मो. 9993294287 कार्या. 161, प्रथम तल, गोपाल भवन, आईसीआईसीआई बैंक के पास, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल-462011

न्यायालय नायब तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)-वृत्त, जिला भोपाल (म.प्र.)
(पुराना जिला पंचायत भवन, जिला भोपाल)

क्रमांक-1398-1397/अ-6/2024-25
नजूल/प्रवा./बैरा. वृत्त/2025
भोपाल, दिनांक (0/04/25

सूचना-पत्र

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को